प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति और प्रदर्शन का एक अध्ययन

गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन'[1], डॉ. शंभू नाथ सिंह[2]
[1]शोधार्थी (अर्थशास्त्र), [2]शोध निर्देशक एवं एसोसिएट प्रोफेसर
बैंकिंग, अर्थशास्त्र एवं वित्त विभाग, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी: 284128

सारांश

कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है, लेकिन कृषि की मानसून पर निर्भरता और मानसून की अनिश्चितता जगजाहिर है, जिसके कारण भारत हमेशा प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में रहता है। जबकि उत्पादन में अस्थिरता और बाजार के जोखिम कृषि को जोखिमपूर्ण व्यवसाय बनाते हैं और सीधे किसानों के आय स्तर को प्रभावित करते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में देश के किसानों को कृषि आपदाओं से निपटने के लिए विकल्प उपलब्ध कराना सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) किसानों को मौसम की अनिश्चितता से बचाने और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का सबसे सशक्त संस्थागत साधन है।

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य पीएमएफबीवाई की प्रगति और प्रदर्शन का विश्लेषण करना है,जिसके तहत विशेषकर बीमित किसानों की संख्या, बीमित क्षेत्र, भुगतान किए गए दावे और कुल लाभान्वित किसानों का आंकलन करके पीएमएफबीवाई के प्रदर्शन को समझना है। पिछली योजनाओं की तुलना में पीएमएफबीवाई कई सुधारों के साथ संचालित हैं, जिसके चलते फसल बीमा की परिधि में किसानों, फसलों और क्षेत्र का कवरेज बढ़ा है। हालांकि, कवरेज में लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है। प्राचलों के प्रदर्शन से पता चलता है कि पीएमएफबीवाई कृषि गतिविधियों में उत्पन्न होने वाले सभी जोखिमों को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। किसानों को विभिन्न प्रकार के जलवायु जोखिमों से बचाने के लिए, फसल बीमा योजना को एक व्यापक जोखिम शमन रणनीति का पूरक बनाने की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द: फसल बीमा, प्रीमियम, अनिश्चितता, अनिवारणीय आपदा, वित्तीय सुरक्षा।

पीएमएफबीवाई का परिचय:

13 जनवरी, 2016 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित पीएमएफबीवाई देश में फसल बीमा के संचालन से प्राप्त सर्वोत्तम अनुभवों और भारत सरकार के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। पीएमएफबीवाई में अधिसूचित खाद्य फसलों, तिलहन और वार्षिक बागवानी अथवा वाणिज्यिक फसलों के लिए बीमा कवरेज का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत किसानों द्वारा भुगतान हेतु प्रीमियम सभी खरीफ फसलों के लिए 2 प्रतिशत, रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत, वार्षिक वाणिज्यिक अथवा बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि का 5 प्रतिशत अधिकतम निर्धारित है। वास्तविक प्रीमियम और किसानों द्वारा देय दर के बीच का अंतर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समान रूप से साझा किया जाता है।

योजना में कटौती रहित पूर्ण बीमित राशि (एसआई) के दावे का प्रावधान है। यदि प्रतिकूल मौसम के कारण बुवाई नहीं हो पाती है या फिर जब अधिसूचित फसलों की उपज, गारंटीकृत उपज से कम होती है, तो सभी बीमित किसानों को उपज में कमी के सापेक्ष क्षतिपूर्ति दावों का भुगतान होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में संभावित दावों का 25 प्रतिशत तक तत्काल राहत के रूप में अग्रिम भुगतान का भी प्रावधान है। बाढ़, ओलावृष्टि और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन व्यक्तिगत खेत स्तर पर किया जाता है। देश के किसी भी अधिसूचित क्षेत्र में चक्रवाती और बेमौसम बारिश के कारण 14 दिनों तक खेत में कटी हुई फसलों के नुकसान हेतु फसल कटाई उपरांत नुकसान के आकलन का भी प्रावधान है।

पीएमएफबीवाई के मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में धारणीय उत्पादन को समर्थन प्रदान करना है, जिसके अंतर्गत (क) अप्रत्याशित घटनाओं के कारण फसल हानि से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, (ख) किसानों की आय को स्थिर करना ताकि वे खेती में बने रहें, (ग) किसानों को नवीन एवं आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, (घ) कृषि क्षेत्र में वित्तीय प्रवाह सुनिश्चित करना शामिल है।

अध्ययन की आवश्यकता:

पीएमएफबीवाई अपनी शुरुआत से ही भारत सरकार की चुनिंदा फ्लैगशिप योजनाओं में से एक रही है और पिछले 8 वर्षों के दौरान 16 मौसमों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा चुकी है। इस अवधि के दौरान योजना की प्रासंगिकता बनाए

रखने और इसके कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए हर 6 महीने में राष्ट्रीय स्तर पर इसकी समीक्षा की गई है। जबकि योजना के प्रावधानों में अब तक 3 बार व्यापक संशोधन किए जा चुके हैं। इन सबके बावजूद, बिहार, पश्चिम बंगाल और गुजरात जैसे कई राज्यों ने योजना के कार्यान्वयन को छोडा है। इसलिए, योजना कार्यान्वयन के 8 साल की अवधि में कृषि और किसानों की स्थिति के संदर्भ में पीएमएफबीवाई की प्रगति और प्रदर्शन का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है।

अध्ययन के उद्देश्य:

प्रस्तुत शोध पत्र में यह जानने का प्रयास किया गया है कि पिछले 8 वर्षों के दौरान योजना की प्रगति और प्रदर्शन की स्थिति क्या रही है? अनिवारणीय आपदाओं के कारण फसल नुकसान के लिए किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने में पीएमएफबीवाई किस हद तक सफल रही है। इसलिए, अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं।

1) योजना के राष्ट्रव्यापी विस्तार, राज्य क्षेत्रों और फसलों के कवरेज का अध्ययन करना।
2) योजना के तहत किसानों और फसली क्षेत्र के कवरेज का अध्ययन करना।
3) किसानों के लिए योजना के लागत-लाभ का विश्लेषण करना।
4) फसल नुकसान के कारण किसानों को मिलने वाले बीमा दावों का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि:

यह अध्ययन पूरी तरह से द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। इसमें बीमित किसानों, लाभान्वित किसानों, भुगतानित दावों और बीमित राशि के आंकड़ों का उपयोग करके विभिन्न मानकों पर पीएमएफबीवाई के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है। पीएमएफबीवाई के मामले में, 2016-17 से 2023-24 तक की अवधि यानी 8 वर्षों के लिए डेटा एकत्र किया गया है। भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एक नज़र में, कृषि जनगणना 2015-16 और भारत में फसल की स्थिति सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों की रिपोर्टों का उपयोग किया गया है। इसके बाद, आवश्यकतानुसार आंकड़ों का कम्प्यूटरीकृत संख्यात्मक विश्लेषण किया गया है।

पीएमएफबीवाई के तहत राज्य और क्षेत्रों का कवरेज:

पिछले 8 वर्षों (2016-17 से 2023-24) के दौरान योजना के तहत राज्य क्षेत्रों के कवरेज को सारणी-1 में दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि खरीफ मौसमों में पीएमएफबीवाई को क्रियांवित करने वाले राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या 19 से 23 तक थी। स्पष्ट है कि खरीफ के मौसमों में योजना को क्रियांवित करने वाले राज्य अधिकतम 63.89 प्रतिशत और न्यूनतम 52.78 प्रतिशत थे। जबकि, रबी मौसमों में पीएमएफबीवाई को क्रियांवित करने वाले राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या 18 से 25 तक थी। इस तरह, रबी मौसमों में योजना क्रियांवित करने वाले राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र अधिकतम 69.44 प्रतिशत और न्यूनतम 50.00 प्रतिशत थे।

सारणी-1: पीएमएफबीवाई क्रियांवित करने वाले राज्य और क्षेत्र

वर्ष	खरीफ में राज्य/संघ क्षेत्र		रबी में राज्य/संघ क्षेत्र		कुल राज्य/संघ क्षेत्र
(दोनों मौसम)	(संख्या)	(%)	(संख्या)	(%)	(संख्या)
2016-17	21	58.33	25	69.44	36
2017-18	23	63.89	21	58.33	36
2018-19	22	61.11	21	58.33	36
2019-20	20	55.56	19	52.78	36
2020-21	19	52.78	18	50.00	36
2021-22	20	55.56	20	55.56	36
2022-23	21	58.33	22	61.11	36
2023-24	21	58.33	21	58.33	36

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

कुल मिलाकर, पिछले 8 वर्षों (2016-17 से 2023-24) के 16 मौसमों में पीएमएफबीवाई को देश के सभी राज्य क्षेत्रों में अथवा अखिल भारतीय स्तर पर क्रियांवित नहीं किया गया है। देश के अधिकतम 70 प्रतिशत राज्य क्षेत्रों ने योजना को क्रियांवित किया है। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि पीएमएफबीवाई का कवरेज अखिल भारतीय नहीं है।

पीएमएफबीवाई के तहत फसलों का कवरेज:

पिछले 8 वर्षों (2016-17 से 2023-24) के दौरान योजना के तहत फसलों के कवरेज को सारणी-2 में दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि खरीफ मौसमों में पीएमएफबीवाई के तहत बीमित कृषि और बागवानी दोनों फसलों की संख्या 82 से 123 तक रही है। जबकि रबी मौसमों में बीमित फसलों की संख्या 105 से 165 तक रही है। हालांकि, पीएमएफबीवाई के तहत कुल बीमित फसलों में खरीफ की फसलों का हिस्सा 39.61 से 44.44 प्रतिशत और रबी की फसलों का हिस्सा 55.56 से 60.39 प्रतिशत तक रहा है।

सारणी-2: पीएमएफबीवाई के तहत बीमित फसलें

वर्ष	खरीफ में बीमित फसलें			रबी में बीमित फसलें			कुल बीमित फसलें
(दोनों मौसम)	कृषि	बागवानी	कुल	कृषि	बागवानी	कुल	
2016-17	35	49	**84**	36	69	**105**	**189**
2017-18	38	56	**94**	39	81	**120**	**214**
2018-19	38	57	**95**	40	82	**122**	**217**
2019-20	37	48	**85**	40	83	**123**	**208**
2020-21	36	46	**82**	36	89	**125**	**207**
2021-22	49	57	**106**	53	95	**148**	**254**
2022-23	54	59	**113**	60	98	**158**	**271**
2023-24	54	69	**123**	59	106	**165**	**288**

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

कुल मिलाकर, पिछले 8 वर्षों (2016-17 से 2023-24) के 16 मौसमों के दौरान कुछ विचलनों को छोड़कर, पीएमएफबीवाई के तहत बीमित फसलों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2016-17 के दोनों मौसमों में पीएमएफबीवाई के तहत बीमित फसलों की संख्या 189 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 288 हो गई है।

पीएमएफबीवाई के तहत किसानों का कवरेज:

पीएमएफबीवाई के तहत किसानों की कवरेज: सारणी-3 में ऋणी और गैर ऋणी किसान आवेदनों के कवरेज को दर्शाया गया है। जिसके अनुसार, पीएमएफबीवाई के क्रियान्वयन के पहले वर्ष 2016-17 में कुल 562.71 लाख किसान आवेदनों का बीमा किया गया था। बीमित किसान आवेदनों की यह संख्या 2017-18 में 512.43, 2018-19 में 560.37, 2019-20 में 592.61, 2020-21 में 613.06, 2021-22 में 819.93, 2022-23 में 1108.12 तथा 2023-24 में 1390.06 लाख रही है। स्पष्ट है कि 2016-17 में योजना के तहत बीमित किसान आवेदनों की संख्या में वृद्धि के पश्चात् अचानक कमी देखी गई है। किन्तु इसके पश्चात् इसमें निरंतर वृद्धि देखी गई है।

मौसम के हिसाब से बीमित किसानों पर गौर करें तो रबी की तुलना में खरीफ में बीमित किसानों के आवेदन हमेशा अधिक रहे हैं। योजना के तहत खरीफ-2016 में 392.2 लाख किसानों के आवेदन बीमित किए गए, जो बढ़कर खरीफ-2023 में 854.1 लाख किसान आवेदन हो गए। जबकि रबी 2016-17 में 170.5 लाख किसानों के आवेदन बीमित किए गए, जो बढ़कर रबी 2023-24 में 535.9 लाख किसान आवेदन हो गए। स्पष्ट है कि पिछले 8 वर्षों (2016-17 से 2023-24) के दौरान दोनों मौसम में किसानों के बीमा आवेदन बढे हैं।

चूंकि योजनान्तर्गत खरीफ 2020 तक ऋणी किसानों का कवरेज अनिवार्य था, जिसके कारण ऋणी किसानों के स्वैच्छिक कवरेज का अनुमान लगाना कठिन था। अतः ऋणी कृषकों के अनिवार्य कवरेज के प्रावधान समाप्त करने के पश्चात किसानों के स्वैच्छिक कवरेज की प्रवृत्ति का अनुमान लगाना आवश्यक हो जाता है। सारणी-3 से स्पष्ट है कि पीएमएफबीवाई के तहत वर्ष 2016-17 में कुल ऋणी किसानों के आवेदन 427.69 लाख थे, जो बढ़कर वर्ष 2023-24 में 861.63 लाख हो गए। स्पष्ट है कि वर्ष 2016-17 में योजनान्तर्गत बीमित ऋणी किसानों के आवेदनों में वृद्धि के पश्चात् अचानक कमी देखी गई, किन्तु वर्ष 2019-20 से इसमें निरन्तर वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार, पिछले 8 वर्षों के दौरान कुल किसान आवेदनों के सापेक्ष में ऋणी किसान आवेदनों की हिस्सेदारी 61.99 से 76.01 प्रतिशत तक रही है।

वर्ष 2016-17 में कुल गैर-ऋणी किसान आवेदन 135.02 लाख थे, जो बढ़कर वर्ष 2023-24 में 528 लाख हो गए । स्पष्ट है कि योजनान्तर्गत बीमित गैर-ऋणी किसान आवेदनों की निरपेक्ष संख्या में वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक निरन्तर

वृद्धि हुई है, किन्तु वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में गैर ऋणी किसान आवेदनों का निरपेक्ष कवरेज कम हुआ है। इसके पश्चात् कवरेज में निरन्तर वृद्धि देखी गई है। इस तरह, पिछले 8 वर्षों के दौरान कुल बीमित किसान आवेदनों के सापेक्ष गैर-ऋणी किसान आवेदनों की हिस्सेदारी 23.99 से 38.27 प्रतिशत तक रही है।

सारणी-3: पीएमएफबीवाई के तहत बीमित किसान आवेदन

वर्ष	ऋणी आवेदन		गैर ऋणी आवेदन		कुल
(दोनों मौसम)	(लाख)	(%)	(लाख)	(%)	(लाख)
2016-17	427.69	76.01	135.02	23.99	562.71
2017-18	370.61	72.32	141.81	27.67	512.43
2018-19	345.91	61.73	214.46	38.27	560.37
2019-20	369.26	62.31	223.36	37.69	592.61
2020-21	392.16	63.97	220.91	36.03	613.06
2021-22	610.46	74.45	209.47	25.55	819.93
2022-23	748.92	67.58	359.2	32.42	1,108.12
2023-24	861.63	61.99	528.43	38.01	1,390.06
सकल योग	**4,126.65**	**67.00**	**2,032.65**	**33.00**	**6,159.30**

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। **नोट:** व्यवसाय सांख्यिकी के आंकड़े 30.06.2024 तक हैं।

पीएमएफबीवाई की सफलता का एक पैरामीटर और प्राथमिक फोकस गैर-ऋणी किसानों का कवरेज बढ़ाना भी रहा है, क्योंकि ये योजना को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। इस दृष्टि से कुल बीमित किसान आवेदनों के सापेक्ष गैर-ऋणी किसान आवेदनों की हिस्सेदारी वर्ष 2016-17 में 23.99 प्रतिशत थी। यह हिस्सेदारी वर्ष 2017-18 में 27.67, वर्ष 2018-19 में 38.27, वर्ष 2019-20 में 37.69, वर्ष 2020-21 में 36.03, वर्ष 2021-22 में 25.55, वर्ष 2022-23 में 32.42 और वर्ष 2023-24 में 38.01 प्रतिशत रही है। इस प्रकार, पिछले 8 वर्षों के दौरान कुल बीमित किसान आवेदनों में गैर-ऋणी किसान आवेदनों की हिस्सेदारी 23.99 से 38.27 प्रतिशत हो गई है।

स्पष्ट है कि ऋणी किसानों के अनिवार्य कवरेज के प्रावधान को समाप्त करने के बाद भी कवरेज की प्रवृत्ति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। गैर-ऋणी किसानों का कवरेज वर्ष 2018-19 में 38.27 प्रतिशत था, जो अधिकतम था। इसके बाद दूसरा अधिकतम कवरेज वर्ष 2023-24 में था, जो 38.01 प्रतिशत था। जबकि पिछली योजनाओं के तहत यह 5 प्रतिशत तक ही था। इस तरह, गैर-ऋणी किसानों की भागीदारी पहले की योजनाओं की तुलना में काफी (लगभग 7 गुना) बढ़ गई है। यह इस योजना के तहत एक बड़ी उपलब्धि रही है, जो गैर-ऋणी किसानों के कवरेज के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के प्रावधान और पोर्टल पर प्रत्यक्ष नामांकन को प्रोत्साहित करने के परिणामस्वरूप प्राप्त हुई है।

सारणी-4: भूमिधारक किसानों के सापेक्ष बीमित किसान

वर्ष (दोनों मौसम)	कुल बीमित किसान (लाख में)	वर्ष 2015-16 में भूमिधारक किसानों की संख्या (लाख में)	भूमिधारक किसानों के विरुद्ध बीमित किसान (%)
2018-19	363.49	1464.54	24.82
2019-20	297.11	1464.54	20.29
2020-21	268.79	1464.54	18.35
2021-22	259.01	1464.54	17.69
2022-23	302.60	1464.54	20.66
2023-24	375.23	1464.54	25.62

स्रोत:https://pmfby.gov.in/adminStatistics/dashboard
2. भूमिधारक किसान कृषि गणना 2015-16, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

पिछले 6 वर्षों (2018-19 से 2023-24) के दौरान योजना के अंतर्गत बीमित किसानों और देश के कुल भूमिधारक किसानों के तुलनात्मक कवरेज को सारणी-4 में दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19 में योजना के अंतर्गत 363.49 लाख किसानों का बीमा किया गया, जो कुल भूमिधारक किसानों का 24.82 प्रतिशत था। यह हिस्सा वर्ष 2019-20 में

20.29, 2020-21 में 18.35, 2021-22 में 17.69, 2022-23 में 20.66 तथा 2023-24 में 25.62 प्रतिशत रहा है। सारणी से स्पष्ट है कि पिछले 6 वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत 259.01 लाख से 375.23 लाख किसानों का बीमा किया गया है। इस तरह, देश के 1464.54 लाख भूमिधारक किसानों में से केवल 17.69 से 25.62 प्रतिशत किसान ही योजना के तहत बीमित किए जा सके हैं, जिसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है।

पीएमएफबीवाई के तहत फसल क्षेत्र का कवरेज:

पीएमएफबीवाई के तहत कुल फसली क्षेत्र के सापेक्ष बीमित क्षेत्र के कवरेज को सारणी-5 में दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2016-17 में कुल बीमित क्षेत्र 549.20 लाख हेक्टेयर था, जो घटकर वर्ष 2023-24 में 496.13 लाख हेक्टेयर रह गया। स्पष्ट है कि योजनान्तर्गत निरपेक्ष बीमित क्षेत्र में काफी विचलन देखने को मिला है और यह 549.20 लाख से 397.49 लाख हेक्टेयर के बीच रहा है, जो योजना परिचालन के पहले वर्ष के पश्चात बीमित क्षेत्र के निरपेक्ष कवरेज में कमी को व्यक्त करता है।

पिछले 8 वर्षों (2016-17 से 2023-24) के दौरान पीएमएफबीवाई के तहत कुल फसली क्षेत्र (जीसीए) के सापेक्ष बीमित क्षेत्र 19.85 से 27.43 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2016-17 में जीसीए के सापेक्ष बीमित क्षेत्र 27.43 प्रतिशत था, जो पिछले 8 वर्षों में अधिकतम कवरेज स्तर है। इसके बाद बीमित क्षेत्र के कवरेज में कमी परिलक्षित हुई है। वर्ष 2021-22 में जीसीए के सापेक्ष बीमित क्षेत्र 19.85 प्रतिशत था, जो पिछले 8 वर्षों का न्यूनतम कवरेज स्तर है। हालांकि इसके बाद कवरेज स्तर में वृद्धि परिलक्षित हुई है, लेकिन पीएमएफबीवाई परिचालन के पहले वर्ष का कवरेज स्तर पुन: प्राप्त नहीं हो पाया है। जबकि जबकि पीएमएफबीवाई के तहत देश के सकल फसली क्षेत्र का वर्ष 2016-17 में 30 प्रतिशत, 2017-18 में 40 प्रतिशत और वर्ष 2018-19 में 50 प्रतिशत क्षेत्र बीमित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। स्पष्ट है कि पीएमएफबीवाई बीमित क्षेत्र बढाने के मामले में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही है।

सारणी-5: पीएमएफबीवाई के तहत सकल फसली क्षेत्र के कवरेज की स्थिति

वर्ष (दोनों मौसम)	बीमित किसान आवेदन	बीमित क्षेत्र	अखिल भारतीय सकल फसल क्षेत्र	प्रति आवेदन बीमित क्षेत्र	पीएमएफबीवाई के तहत जीसीए का कवरेज
	(लाख)	(लाख हेक्टे.)	(लाख हेक्टे.)	(हेक्टेयर)	
2016-17	562.71	549.20	2,002.0	0.98	27.43%
2017-18	512.43	487.47	2,002.0	0.95	24.35%
2018-19	560.37	514.19	2,002.0	0.92	25.68%
2019-20	592.61	486.34	2,002.0	0.82	24.29%
2020-21	613.06	438.70	2,002.0	0.72	21.91%
2021-22	819.93	397.49	2,002.0	0.48	19.85%
2022-23	1108.12	414.48	2,002.0	0.37	20.70%
2023-24	1390.06	496.13	2,002.0	0.36	24.78%

स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
टिप्पणी: पीएमएफबीवाई के कवरेज को समझने के लिए वर्ष 2016-17 के जीसीए आंकड़ों का उपयोग बाद के वर्षों के लिए किया गया है।

बीमित किसान आवेदनों के सापेक्ष बीमित क्षेत्र पर गौर करें तो पिछले 8 वर्षों के दौरान पीएमएफबीवाई के तहत बीमित क्षेत्र 0.61 हेक्टेयर प्रति किसान आवेदन रहा है। यह वर्ष 2016-17 में 0.98 हेक्टेयर प्रति किसान आवेदन था, जो पिछले 8 वर्षों में अधिकतम स्तर है। इसके बाद निरंतर कमी परिलक्षित हुई है और यह घटकर वर्ष 2023-24 में 0.36 हेक्टेयर प्रति किसान आवेदन रह गया, जो पिछले 8 वर्षों का न्यूनतम स्तर है। इस तरह, कुल फसली क्षेत्र के सापेक्ष बीमित क्षेत्र का कवरेज बढाने और प्रति किसान आवेदन बीमित क्षेत्र बढाने अर्थात दोनों दृष्टि से पीएमएफबीवाई का प्रदर्शन न तो अपेक्षा के अनुरूप है और न ही संतोषजनक है, क्योंकि इस मामले में योजना अपने निर्धारित लक्ष्य को भी प्राप्त करने में असफल रही है।

पीएमएफबीवाई के तहत प्रीमियम और बीमित राशि:

पीएमएफबीवाई के तहत किसान आवेदनों के सापेक्ष प्रीमियम और बीमित राशि की स्थिति को सारणी-6 में दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि पिछले 8 वर्षों (2016-17 से 2023-24) के दौरान पीएमएफबीवाई के तहत किसान प्रीमियम और सरकार द्वारा भुगतानित प्रीमियम सब्सिडी को मिलाकर कुल प्रीमियम 20,071.01 से 29,954.01 करोड़ रुपए वसूला गया है। हालांकि, वर्ष 2016-17 में न्यूनतम 20,071.01 और वर्ष 2020-21 में अधिकतम 29,954.01 करोड़ रुपए प्रीमियम वसूला गया है। जबकि पिछले 8 वर्षों के दौरान प्रति किसान आवेदन 3418.99 रुपए प्रीमियम राशि वसूली गई है। वर्ष 2016-17 में प्रीमियम राशि 3566.85 रुपए प्रति किसान आवेदन थी, जो बढ़कर वर्ष 2020-21 में 4885.98 रुपए हो गई । हालांकि इसके बाद कमी परिलक्षित हुई और यह घटकर वर्ष 2023-24 में 1898.20 रुपए रह गई, जो पिछले 8 वर्षों का न्यूनतम स्तर है। यह योजना के भावी विस्तार के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है।

सारणी-6: पीएमएफबीवाई के तहत प्रीमियम और बीमित राशि की स्थिति

वर्ष (दोनों मौसम)	बीमित किसान आवेदन (लाख)	सकल प्रीमियम (लाख रू.)	बीमित राशि (लाख रू.)	प्रति आवेदन प्रीमियम राशि (रुपए)	प्रति आवेदन बीमित राशि (रुपए)
2016-17	562.71	20,07,101	1,92,82,057	3566.85	34266.42
2017-18	512.43	22,23,005	1,90,56,709	4338.16	37188.90
2018-19	560.37	26,76,506	2,20,59,108	4776.32	39365.26
2019-20	592.61	28,75,132	2,03,31,163	4851.64	34307.83
2020-21	613.06	29,95,401	1,92,44,781	4885.98	31391.35
2021-22	819.93	27,96,868	1,73,76,452	3411.11	21192.60
2022-23	1,108.12	28,45,958	2,05,45,636	2568.28	18540.98
2023-24	1,390.06	26,38,611	2,56,59,794	1898.20	18459.49
कुल योग	**6,159.30**	**21058582**	**163555700**	**3418.99**	**26554.27**

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

टिप्पणी: व्यावसायिक आंकड़े 30-6-2024 तक, लेकिन खरीफ-2023 और रबी 2023-24 के दावा आंकड़ों को अंतिम रूप दिया जाना है।

पीएमएफबीवाई की एक सकारात्मक विशेषता यह रही है कि पूर्व योजनाओं के बीमित राशि पर कैपिंग सीमा वाले प्रावधान को हटाकर पीएमएफबीवाई में बीमित राशि को वित्त के पैमाने (स्केल ऑफ फाइनेंस) के बराबर किया गया है। इससे न केवल किसानों को अधिकतम जोखिम कवरेज मिला है, बल्कि प्रति किसान और प्रति हेक्टेयर दावे भी पिछली योजनाओं की तुलना में काफी बढ़ गए हैं। सारणी-6 से स्पष्ट है कि पिछले 8 वर्षों के दौरान पीएमएफबीवाई के तहत कुल बीमित राशि 1635557.00 करोड़ रुपए थी, जो पिछले 8 वर्षों में वसूले गए कुल प्रीमियम से 7.8 गुना अधिक है। जबकि पिछले 8 वर्षों में प्रति किसान आवेदन औसत बीमित राशि 26554.27 रुपए रही है। हालांकि वर्षवार प्रति आवेदन बीमित राशि में काफी विचलन देखने को मिला है। वर्ष 2018-19 में प्रति आवेदन बीमित राशि 39365.26 रुपए थी, पिछले 8 वर्षों का अधिकतम स्तर है और इसके बाद कमी परिलक्षित हुई और यह घटकर वर्ष 2023-24 में 18459.49 रुपए रह गई, जो पिछले 8 वर्षों का न्यूनतम स्तर है। यह योजना के भावी विस्तार के लिए एक अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता है।

सारणी-7 में पीएमएफबीवाई के तहत बीमित क्षेत्र के सापेक्ष प्रीमियम और बीमित राशि की स्थिति को दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि पिछले 8 वर्षों में प्रति हेक्टेयर प्रीमियम राशि 5565.15 रुपए रही है। हालांकि वर्षवार प्रति हेक्टेयर प्रीमियम राशि में काफी विचलन देखने को मिला है। वर्ष 2016-17 में प्रति हेक्टेयर प्रीमियम राशि 3654.59 रुपए थी, पिछले 8 वर्षों का न्यूनतम स्तर है और इसके बाद वृद्धि परिलक्षित हुई और यह बढ़कर वर्ष 2021-22 में

7036.32 रुपए हो गई, जो पिछले 8 वर्षों का अधिकतम स्तर है। यह योजना के भावी विस्तार के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है।

सारणी-7: पीएमएफबीवाई के तहत प्रीमियम और बीमित राशि की स्थिति

वर्ष (दोनों मौसम)	बीमित क्षेत्र (लाख हेक्टे.)	सकल प्रीमियम (लाख रू.)	बीमित राशि (लाख रू.)	प्रति हेक्टेयर प्रीमियम राशि (रुपए)	प्रति हेक्टेयर बीमित राशि (रुपए)
2016-17	549.20	20,07,101	1,92,82,057	3654.59	35109.35
2017-18	487.47	22,23,005	1,90,56,709	4560.29	39093.09
2018-19	514.19	26,76,506	2,20,59,108	5205.29	42900.69
2019-20	486.34	28,75,132	2,03,31,163	5911.77	41804.42
2020-21	438.70	29,95,401	1,92,44,781	6827.90	43867.75
2021-22	397.49	27,96,868	1,73,76,452	7036.32	43715.44
2022-23	414.48	28,45,958	2,05,45,636	6866.33	49569.67
2023-24	496.13	26,38,611	2,56,59,794	5318.39	51719.90
कुल योग	**3,784.01**	**21058582**	**163555700**	**5565.15**	**43222.85**

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

टिप्पणी: व्यावसायिक आंकड़े 30-6-2024 तक, लेकिन खरीफ-2023 और रबी 2023-24 के दावा आंकड़ों को अंतिम रूप दिया जाना है।

सारणी से स्पष्ट है कि पिछले 8 वर्षों में प्रति हेक्टेयर औसत बीमित राशि 43222.85 रुपए रही है। हालांकि वर्षवार प्रति आवेदन बीमित राशि में काफी विचलन देखने को मिला है। वर्ष 2016-17 में प्रति आवेदन बीमित राशि 35109.35 रुपए थी, पिछले 8 वर्षों का न्यूनतम स्तर है और इसके बाद वृद्धि परिलक्षित हुई और यह बढ़कर वर्ष 2023-24 में 51719.90 रुपए हो गई, जो पिछले 8 वर्षों का अधकतम स्तर है, जिसे योजना के भावी विस्तार के लिए एक अच्छा संकेत माना जा सकता है।

किसानों के लिए पीएमएफबीवाई का लागत-लाभ विश्लेषण:

पीएमएफबीवाई के तहत किसान प्रीमियम, सकल प्रीमियम एवं बीमित राशि के विरूद्ध भुगतान किए गए दावा राशि की स्थिति को सारणी-8 में दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि पिछले 8 वर्षों (2016-17 से 2023-24) के दौरान दोनों मौसमों में किसानों से वसूले गए 28,835.1 करोड़ रुपए के किसान प्रीमियम के सापेक्ष बीमित किसानों को 1,48,233.5 करोड़ रुपए के दावों भुगतान किया गया है। यह दावा राशि किसान प्रीमियम के सापेक्ष 514.07 प्रतिशत थी। इसका अर्थ है कि बीमित किसानों को उनके द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम से 5.14 गुना अधिक दावा राशि प्राप्त हुई।

सारणी-8: किसानों के लिए पीएमएफबीवाई का लागत-लाभ विश्लेषण

वर्ष (दोनों मौसम)	किसान प्रीमियम (करोड़ रु.)	सकल प्रीमियम (करोड़ रु.)	रिपोर्टेड दावे (करोड़ रु.)	भुगतानित दावे (करोड़ रु.)	दावा अनुपात	बीमा राशि से दावा अनुपात	किसानों के प्रीमियम का दावा अनुपात
2016-17	3,698.0	20,071.0	15,148.9	15,148.9	75.50%	7.86%	409.65%
2017-18	3,741.8	22,230.1	20,298.9	20,292.2	91.30%	10.65%	542.31%
2018-19	4,168.9	26,765.1	25,904.7	25,843.2	96.80%	11.72%	619.90%
2019-20	3,880.3	28,751.3	24,596.8	24,333.8	85.60%	11.97%	627.11%
2020-21	3,702.6	29,954.0	20,324.4	20,132.5	67.90%	10.46%	543.74%
2021-22	3,348.2	27,968.7	18,860.8	18,643.8	67.40%	10.73%	556.83%
2022-23	3,569.4	28,459.6	16,715.6	16,463.8	58.70%	8.01%	461.25%
2023-24	2,726.0	26,386.1	10,108.6	7,375.3	38.30%	2.87%	270.55%
कुल योग	**28,835.1**	**2,10,585.8**	**1,51,958.8**	**1,48,233.5**	**72.20%**	**9.06%**	**514.07%**

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

टिप्पणी: व्यावसायिक आंकड़े 30-06-2024 तक, लेकिन खरीफ-2023 और रबी 2023-24 के दावे के आंकड़ों को अंतिम रूप दिया जाना है।

उल्लेखनीय है कि पिछले 8 वर्षों के दौरान बीमा कंपनियों द्वारा 2,10,585.8 करोड़ रुपए के सकल प्रीमियम के सापेक्ष 16,35,557.00 करोड़ रुपए की बीमित राशि का बीमा किया गया, जबकि 1,48,233.5 करोड़ रुपए के दावे भुगतान किए गए । इस दृष्टि से योजना को सफल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीमित राशि का मात्र 9.06 प्रतिशत और सकल प्रीमियम का 72.20 प्रतिशत ही दावा भुगतान किया गया है।

कुल मिलाकर, वर्ष 2016-17 से 2023-24 के दौरान किसान प्रीमियम के विरुद्ध दावा अनुपात 270.55 से 627.11 प्रतिशत, सकल प्रीमियम के विरुद्ध 38.30 से 96.80 प्रतिशत और बीमित राशि के विरुद्ध 2.87 से 11.97 प्रतिशत का भुगतान किया गया है।

पीएमएफबीवाई के तहत लाभान्वित किसान:

पीएमएफबीवाई के तहत कुल बीमित किसान आवेदनों के सापेक्ष लाभांवित किसानों की स्थिति को सारणी-9 में दर्शाया गया है। चूंकि बीमा जोखिम का व्यवसाय है, जिसके कारण योजना के तहत दावों का भुगतान अधिसूचित क्षेत्र, जोखिम स्तर और फसल हानि पर आधारित है। इसलिए, योजना के तहत किसानों को मिलने वाला लाभ अधिसूचित फसल की उपज में नुकसान और क्षेत्र के जोखिम स्तर पर निर्भर करता है। यदि मानसून की स्थिति फसलों के अनुकूल है, तो बीमा दावे कम होंगे, लेकिन यदि मौसमी स्थितियाँ फसलों के लिए प्रतिकूल हैं, तो बीमा दावे अधिक होंगे।

सारणी-9 से स्पष्ट है कि पिछले 8 वर्षों (2016-17 से 2023-24) में कुल 6159.30 लाख बीमित किसान आवेदनों के सापेक्ष 1725.91 लाख किसान आवेदन लाभान्वित हुए हैं, जो कुल बीमित किसान आवेदनों का 28.02 प्रतिशत हैं। लाभांवित किसानों का यह हिस्सा वर्ष 2016-17 में 24.73, 2017-18 में 31.53, 2018-19 में 38.65, 2019-20 में 37.29, 2020-21 में 31.37, 2021-22 में 41.11, 2022-23 में 27.90 और 2023-24 में 10.72 प्रतिशत रहा है। यदि वर्ष 2023-24 के प्रक्रियाधीन दावों को छोड़ भी दें तो पिछले 7 वर्षों (2016-17 से 2022-23) में बीमित किसान आवेदनों के सापेक्ष लाभान्वित किसान आवेदन 24.73 से 41.11 प्रतिशत रहे हैं। स्पष्ट है कि पिछले 7 वर्षों में बीमित किसान आवेदनों में से आधे किसान आवेदन भी लाभांवित नहीं हुए हैं, जो योजना के भावी विस्तार के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है।

सारणी-9: पीएमएफबीवाई के तहत लाभान्वित किसान आवेदन

वर्ष (दोनों मौसम)	कुल बीमित किसान आवेदन (लाख)	कुल लाभान्वित किसान आवेदन (लाख)	बीमित के विरुद्ध लाभान्वित आवेदन (%)	लाभांवित आवेदनों में प्रति आवेदन भुगतानित दावे (रुपए)
2016-17	562.71	139.18	24.73	10884.39
2017-18	512.43	161.58	31.53	12558.61
2018-19	560.37	216.57	38.65	11932.95
2019-20	592.61	220.97	37.29	11012.26
2020-21	613.06	192.29	31.37	10469.86
2021-22	819.93	337.11	41.11	5530.48
2022-23	1,108.12	309.12	27.90	5326.02
2023-24	1,390.06	149.08	10.72	4947.21
कुल योग	**6,159.30**	**1,725.91**	**28.02**	**8588.72**

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

टिप्पणी: व्यावसायिक आंकड़े 30-6-2024 तक, लेकिन खरीफ-2023 और रबी 2023-24 के दावा आंकड़ों को अंतिम रूप दिया जाना है।

उल्लेखनीय है कि पिछले 8 वर्षों के दौरान लाभांवित आवेदनों में प्रति आवेदन भुगतानित दावे 8588.72 रुपए रहे हैं, जो प्रति किसान आवेदन वसूली गई प्रीमियम राशि 3418.99 रुपए से अधिक है। हालांकि प्रति आवेदन बीमित राशि

26554.27 रुपए के सापेक्ष प्रति आवेदन भुगतानित दावे 3.09 गुना कम रहे हैं। स्पष्ट है कि प्रति आवेदन जोखिम के विरुद्ध बीमित राशि की तुलना में प्रति आवेदन भुगतानित दावे काफी कम हैं, जो किसानों के फसल जोखिम के सापेक्ष योजना के संतोषजनक प्रदर्शन को प्रतिबिंबित नहीं करता है और यह योजना विस्तार के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। वर्ष 2017-18 में प्रति आवेदन भुगतानित दावे 12558.61 रुपए थे, जो पिछले 8 वर्षों का अधिकतम स्तर है।

परिणाम एवं सुझाव:

अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पिछले 8 वर्षों (2016-17 से 2023-24) के दौरान 16 फसल मौसमों में पीएमएफबीवाई को अखिल भारतीय स्तर पर लागू नहीं किया गया है। देश के अधिकतम 70 प्रतिशत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने योजना का कार्यांवयन किया है। इसी तरह, पीएमएफबीवाई के तहत पिछले 8 वर्षों के दौरान बीमित फसलों की संख्या में कुछ विचलनों को छोड़कर लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2016-17 में बीमित फसलों की संख्या 189 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 288 हो गई। इसलिए, योजना को देश के अधिक राज्यों और फसलों तक विस्तारित करने की आवश्यकता है।

पीएमएफबीवाई परिचालन के पहले वर्ष 2016-17 में कुल 562.71 लाख किसान आवेदन बीमित हुए थे, जो बढ़कर वर्ष 2023-24 में 1390.06 लाख तक पहुंच गए। अत: योजना के तहत बीमित किसान आवेदनों की संख्या में वृद्धि हुई है। हालांकि पिछले 8 वर्षों के दौरान कुल बीमित किसान आवेदनों में गैर-ऋणी किसान आवेदनों की हिस्सेदारी 23.99 से 38.27 प्रतिशत रही है। स्पष्ट है कि ऋणी कृषकों के अनिवार्य कवरेज के प्रावधान को समाप्त करने के पश्चात् भी योजना के कवरेज की प्रवृत्ति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। इसी तरह, देश के 1464.54 लाख भूमिधारक किसानों में से केवल 17.69 से 25.62 प्रतिशत किसान ही योजना के तहत बीमित किए जा सके हैं, जिसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। इसलिए योजना में स्वैच्छिक कवरेज को अधिक प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

पिछले 8 वर्षों के दौरान पीएमएफबीवाई के तहत कुल फसली क्षेत्र के सापेक्ष बीमित क्षेत्र 19.85 से 27.43 प्रतिशत रहा है। जबकि पीएमएफबीवाई के तहत देश के सकल फसली क्षेत्र का वर्ष 2016-17 में 30 प्रतिशत, 2017-18 में 40 प्रतिशत और वर्ष 2018-19 में 50 प्रतिशत क्षेत्र बीमित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। स्पष्ट है कि पीएमएफबीवाई बीमित क्षेत्र बढाने के मामले में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही है। पिछले 8 वर्षों के दौरान बीमित क्षेत्र 0.61 हेक्टेयर प्रति किसान आवेदन रहा है। इस दृष्टि से पीएमएफबीवाई का प्रदर्शन न तो अपेक्षा के अनुरूप है और न ही संतोषजनक है, क्योंकि इस मामले में योजना अपने निर्धारित लक्ष्य को भी प्राप्त करने में असफल रही है। इसलिए, कुल फसली क्षेत्र के सापेक्ष और प्रति किसान आवेदन बीमित क्षेत्र का कवरेज बढ़ाना आवश्यक है।

पिछले 8 वर्षों के दौरान पीएमएफबीवाई के तहत किसान प्रीमियम और सरकार द्वारा भुगतानित प्रीमियम सब्सिडी को मिलाकर कुल प्रीमियम 20,071.01 से 29,954.01 करोड़ रुपए वसूला गया है। हालांकि इस दौरान प्रति किसान आवेदन 3418.99 रुपए प्रीमियम राशि वसूली गई है। वर्ष 2016-17 में प्रीमियम राशि 3566.85 रुपए प्रति किसान आवेदन थी, जो घटकर वर्ष 2023-24 में 1898.20 रुपए रह गई। यह योजना के भावी विस्तार के लिए एक सकारात्मक संकेत है। जबकि पिछले 8 वर्षों में प्रति किसान आवेदन औसत बीमित राशि 26554.27 रुपए रही है। हालांकि वर्ष 2018-19 में प्रति आवेदन बीमित राशि 39365.26 रुपए थी। यह घटकर वर्ष 2023-24 में 18459.49 रुपए रह गई, जो पिछले 8 वर्षों का न्यूनतम स्तर है। यह योजना के भावी विस्तार के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है।

पिछले 8 वर्षों के दौरान प्रति हेक्टेयर प्रीमियम राशि 5565.15 रुपए रही है। हालांकि वर्ष 2016-17 में प्रति हेक्टेयर प्रीमियम राशि 3654.59 रुपए थी, पिछले 8 वर्षों का न्यूनतम स्तर है और इसके बाद वृद्धि परिलक्षित हुई और यह बढ़कर वर्ष 2021-22 में 7036.32 रुपए हो गई, जो पिछले 8 वर्षों का अधिकतम स्तर है। यह योजना के भावी विस्तार के

लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। पिछले 8 वर्षों के दौरान प्रति हेक्टेयर औसत बीमित राशि 43222.85 रुपए रही है। हालांकि, वर्ष 2016-17 में प्रति आवेदन बीमित राशि 35109.35 रुपए थी, पिछले 8 वर्षों का न्यूनतम स्तर है। यह बढ़कर वर्ष 2023-24 में 51719.90 रुपए हो गई, जो पिछले 8 वर्षों का अधकतम स्तर है। यह योजना के भावी विस्तार के लिए एक अच्छा संकेत है।

पिछले 8 वर्षों के दौरान बीमा कंपनियों द्वारा 2,10,585.8 करोड़ रुपए के सकल प्रीमियम के सापेक्ष 16,35,557.00 करोड़ रुपए की राशि को बीमित किया गया, जबकि 1,48,233.5 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया। इस दृष्टि से योजना को सफल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीमित राशि का केवल 9.06 प्रतिशत और सकल प्रीमियम का 72.20 प्रतिशत ही दावों का भुगतान किया गया है। वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक लाभान्वित किसान आवेदनों में वृद्धि हुई है, लेकिन उसके बाद वृद्धि में विचलन देखा गया है। पिछले 8 वर्षों के क्रियान्वयन के दौरान वर्ष 2021-22 में 41.11 प्रतिशत किसान आवेदन लाभांवित हुए हैं, जो अब तक का अधिकतम स्तर है। स्पष्ट है कि बीमित किसान आवेदनों में से आधे किसान आवेदन भी लाभांवित नहीं हुए हैं, जो योजना के भावी विस्तार के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है।

पिछले 8 वर्षों के दौरान लाभांवित आवेदनों में प्रति आवेदन भुगतानित दावे 8588.72 रुपए रहे हैं, जो प्रति किसान आवेदन वसूली गई प्रीमियम राशि 3418.99 रुपए से अधिक है। हालांकि प्रति आवेदन बीमित राशि 26554.27 रुपए के सापेक्ष प्रति आवेदन भुगतानित दावे 3.09 गुना कम रहे हैं। स्पष्ट है कि प्रति आवेदन जोखिम के विरुद्ध बीमित राशि की तुलना में प्रति आवेदन भुगतानित दावे काफी कम हैं, जो किसानों के फसल जोखिम के सापेक्ष योजना के संतोषजनक प्रदर्शन को प्रतिबिंबित नहीं करता है और यह योजना विस्तार के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है।

निष्कर्ष:

कुल मिलाकर, आजादी के बाद से भारत सरकार ने किसानों के आय स्तर में स्थायित्व को बनाए रखने के लिए समय-समय पर कई फसल बीमा योजनाएं शुरू की हैं। वर्तमान में दो फसल बीमा योजनाएं यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) चल रही हैं। पिछली योजनाओं की तुलना में पीएमएफबीवाई कई सुधारों के साथ संचालित हैं, जिसके चलते फसल बीमा की परिधि में किसानों, फसलों और क्षेत्र का कवरेज बढ़ा है। हालांकि, कवरेज में लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है। इसलिए योजना को अधिक सफल और किसान-हितैषी बनाने के लिए, अतिरिक्त प्रयासों और सुधारों की आवश्यकता है।

पीएमएफबीवाई की एक सकारात्मक विशेषता यह रही है कि पूर्व योजनाओं के बीमित राशि पर कैपिंग सीमा वाले प्रावधान को हटाकर पीएमएफबीवाई में बीमित राशि को वित्त के पैमाने (स्केल ऑफ फाइनेंस) के बराबर कर किया गया है। इससे न केवल किसानों को अधिकतम जोखिम कवरेज मिला है, बल्कि प्रति किसान और प्रति हेक्टेयर दावे भी पिछली योजनाओं की तुलना में काफी बढ़ गए हैं।

अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर हमने पाया कि पीएमएफबीवाई ने 2016-17 से 2023-24 के दौरान सीमित सफलता दिखाई है। अध्ययन से यह भी स्पष्ट है कि पीएमएफबीवाई कृषि गतिविधियों में उत्पन्न होने वाले सभी जोखिमों को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। किसानों को विभिन्न प्रकार के जलवायु जोखिमों से बचाने के लिए, फसल बीमा योजना को एक व्यापक जोखिम शमन रणनीति का पूरक बनाने की आवश्यकता है।

कुल मिलाकर, बीमा जोखिम का व्यवसाय है और जोखिम हमारी कृषि का अभिन्न अंग है। इसलिए, कृषि क्षेत्र को जोखिम न्यूनीकरण के उपकरण प्रदान करने और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए पीएमएफबीवाई एक बेहतर विकल्प है। हालांकि योजना का कवरेज बढ़ाने के साथ-साथ बीमा दावा भुगतान प्रणाली को आसान और त्वरित बनाने की आवश्यकता है।

स्रोत एवं संदर्भ:

1. Deepa, Limasunep and Feroze (2018), 'Crop Insurance in North Eastern States of India: Performance of National Agricultural Insurance Scheme, 'International Journal of Agriculture Sciences', Volume 10, Issue 11.
2. Marvadi Chetana and Chauhan Ashish (2020) 'Evaluating the Performance of Crop Insurance Schemes in Gujarat' 'Science, Technology and Development' Volume IX Issue IV.
3. Agricultural Statistics at a Glance (2016, 2021 & 2022), Directorate of Economics and Statistics, Ministry of Agriculture and farmers welfare, Government of India, New Delhi
4. Arshad, M., Amjath-Babu, T., Kächele, H. & Müller, K. (2016). What drives the willingness to pay for crop insurance against extreme weather events (flood and drought) in Pakistan? A hypothetical market approach. Climate and Development, 8, 234-244.
5. CAG (2017), Report of the Comptroller and Auditor General of India on Performance Audit of Agriculture Crop Insurance Schemes, Union Government (Civil), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of Bharat Report No. 7 of 2017.
6. CSE (2017), Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: An Assessment, Centre for Science and Environment, New Delhi (https://www.cseindia.org/pradhan-mantri-fasal-bima-yojana-anassessment-7778).
7. Ghosh, R. K., (2019). Performance Evaluation of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (Part-I&II): Governance Analysis, Center for Management in Agriculture (CMA), Indian Institute of Management Ahmedabad, India.
8. Ghosh, Sumit. (2019). An Analysis of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: Expectations and Reality. International Journal of Advanced Science and Technology 28: 788–94
9. Gulati, Ashok, Prerna Terway, and Siraj Hussain. 2018. Crop Insurance in India: Key Issues and Way Forward. Available online: https://www.think-asia.org/handle/11540/8052
10. Hussain, Siraj. (2020). What Can the Centre Learn from How States Are Managing Their Own Crop Insurance Schemes? July 31. Available online: https://thewire.in/agriculture/pm-fasal-bima-yojana-centre-states-crop-insurance.
11. Tiwari, Rajesh, Khem Chand, and Bimal Anjum. (2020). Crop Insurance in India: A Review of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY). FIIB Business Review 9: 249–55.
12. GOB (2023), 'Farmers Covered under PMFBY' answered by Department of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare in 17th Lok Sabha Session-XI, Unstarred Question No. 3275 on 21.03.2023
13. GOB (2023), 'Implementation of PMFBY' answered by Department of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare in Rajya Sabha Session-260, Unstarred Question No.969 on 28.07.2023
14. https://pmfby.gov.in/adminStatistics/dashboard
15. https://pmfby.gov.in/stateWiseDataPage
16. https://pmfby.gov.in/compendium-files
17. Agriculture Census 2015–16, All India Report on Number and Area of Operational Holdings, 5, 2018, http://agcensus.nic.in/document/agcen1516/T1_ac_2015_16.pdf.
18. https://agricoop.nic.in/en/all-india-crop-situation
19. http://www.aicofindia.com/ AICEng/General_Documents/Product_Profiles/PMFBY/PMFBY.pdf
20. https://icrier.org/pdf/Working_Paper_352.pdf - Crop Insurance in India: Key Issues and Way Forward